न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–279/2026

(चौथम थाना काण्ड संख्या 23/2026)

अजय कुमार एवं अन्य – बनाम् – बिहार सरकार

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

18.03.2026

आवेदक/अभियुक्तगण **1. अजय कुमार, 2. विवेक कुमार, 3. रंजीत कुमार, 4. रामप्रवेश कुमार, 5. अमन कुमार, 6. सोहन कुमार, 7. बादल कुमार, 8. प्रिंस कुमार, 9. गगन कुमार, 10. सुमन कुमार, 11. मंजेश कुमार एवं 12. निरज कुमार** की ओर से चौथम थाना काण्ड सं0–23/2026, धारा–126(2), 115(2), 117(2), 118(1), 109, 324(4), 352, 351(2), 351(3), 3(5) BNS के अंतर्गत दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका के अधीन, शपथ–पत्र से समर्थित, दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री रामाकान्त सिंह द्वारा संचालित किया गया।

जमानत के बिन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया कि आवेदकगण को कोई अन्य जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया है और न ही लंबित है। आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उसे इस माामले में झूठा फंसाया गया है। जैसा आरोप लगाया गया है, वैसी कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि यह मामला चौथम थाना काण्ड सं0–22/2026 का प्रतिवाद है। आवेदकगण पर विशिष्ट आरोप नहीं है। सह–अभियुक्त पुतुल देवी एवं अन्य को अग्रिम जमानत आवेदन सं0–110/26 के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रदान किया गया है तथा आवेदकगण का यह मामला भी समान प्रकृति का है। आवेदकगण धारा–482 BNSS के अधीन सभी नियमों व शर्तों को मानने को तैयार है तथा फरार नहीं होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

सूचक के लिखित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 16.01.2026 को लगभग 01.00 बजे दिन में जमीन में मिट्टी भराई को लेकर विवाद में 1. अजय कुमार, 2. विवेक कुमार, 3. सुलेन कुमार, 4. भुलेटस कुमार उर्फ अजीत, 5. रंजीत कुमार,

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम्, खगड़िया।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0-279/2026

(चौथम थाना काण्ड संख्या 23/2026)

लगातार

18.03.2026

6. रामप्रवेश कुमार, 7. अमन कुमार, 8. सोहन कुमार, 9. बादल कुमार, 10. प्रिंस कुमार, 11. गगन कुमार, 12. रूपेश कुमार, 13. वसंत कुमार, 14. सुमन कुमार, 15. मंजेश कुमार, 16. नीरज कुमार, 17. जाफो सिंह एवं 15-20 अज्ञात व्यक्तियों के साथ सूचक के पूर्वज के जमीन को जोर जबरदस्ती कब्जा करने के नियत से टीन एवं चदरा का घर बना दिया, जिसको लेकर सूचक सभी परिवार बोले तो लाठी, डंडा, लोहे क रड, कुदाल, दबिया एवं अन्य घातक हथियार के साथ आये और गाली गलौज करते हुये मारपीट करने लगे। मारपीट के क्रम में सत्यनारायण सिंह को सिर में लाठी से मारा, जिससे उनका सिर फट गया तथा खून बहने लगा। रामरतन सिंह, रामजतन सिंह एवं दीपक कुमार का सिर फोड़कर जख्मी कर दिया, तब सूचक का लड़का डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया। पुलिस आयी और वसंत कुमार, भुलटूस कुमार उर्फ अजीत, मिट्ठु कुमार, प्रिंस कुमार को पकड़कर थाना ले गये। जब सूचक एवं सभी जख्मी ईलाज हेतु चौथम अस्पताल आये, उधर 18. पुतुल देवी पति जाफो सिंह, 19. फूल कुमार पति स्व0 बौधी सिंह, 20 रीना देवी पति शिवनन्दन सिंह, 21. विभा देवी पति चन्द्रशेखर सिंह, 22. खुशबू देवी पति सुलेन कुमार, 23 खुशबू कुमारी पिता लतरू सिंह एवं अन्य व्यक्तियों ने मिलकर उसके घर को तहस-नहस करते हुये तोड़-फोड़ दिया तथा घर में रखे सभी सामान को नष्ट कर दिया एवं लूट-पाट करते हुये बच्चों को घर से निकालकर भगा दिया। झगड़ा का कारण पूर्वज के जमीन को जबर्दस्ती कब्जा करने से मना करने पर मारपीट किया है।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित है कि सामान्य रूप से सभी नामित अभियुक्तों के विरूद्ध लाठी, डंडा, रड वगैरह से मारपीट कर जख्मी करने तथा घर को तोड़-फोड़ कर तहस-नहस कर सभी सामान को नष्ट कर देने का आरोप लगाया गया है। किसे कौन अभियुक्त ने किस चीज से मारा या किसने घर को तोड़कर सामान तहस-नहस किया, यह स्पष्ट नहीं है। किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई विशिष्ठ आरोप नहीं है। दोनों पक्ष आपस में पड़ोसी हैं तथा पूर्व से जमीन को लेकर विवाद है, जिसके लिये वाद एवं पलटा वाद दर्ज कराया गया है। एक ही दिन एवं समय की घटना को लेकर अभियुक्तगण की ओर से सूचक पक्ष के विरूद्ध चौथम थाना काण्ड संख्या 22/2026 दर्ज कराया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा-3 के अनुसार, आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जान मारने का आशय प्रतीत नहीं होता है। पूर्व में अन्य सह-अभियुक्तों

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–279/2026

(चौथम थाना काण्ड संख्या 23/2026)

लगातार

18.03.2026

पुतुल देवी एवं अन्य को अग्रिम जमानत आवेदन सं0–110/26 के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रदान किया गया है ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को आदेश प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर विचारण न्यायालय में आत्मसर्मपण करने अथवा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर अन्तर्गत धारा–482(ii) BNSS के तहत निर्धारित शर्तो का पालन करते हुए मो0–10,000/–(दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं विद्वान् विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उनके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

[signature]

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	18.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	19.03.26
Uploading by	Nikesh Kumar (D.C.O)